

आदेश - पत्रक

अनुसूचित 14-फारम नं० 562

(देखें अभिलेख 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से
 जिला से दा० स्वा० वाद सं० 29/12-17

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित										
1	2	3										
	<p>श्री <u>श्री मती कौशलभा स्वामी</u></p> <p>वल्द w/o <u>श्री भगवान स्वामी</u> ग्राम <u>खैरगा</u></p> <p>धाना <u>जमुई</u> जिला <u>जमुई</u></p> <p>कं घाला नं० <u>3105</u> दिनांक <u>17/8/94</u></p> <p>कं आधार पर निम्नांकित जमीन पर दाखिल खरिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है ।</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">मौजा का नाम</td> <td style="width: 15%;">तौजी नं०</td> <td style="width: 15%;">खाता नं०</td> <td style="width: 15%;">खसरा</td> <td style="width: 35%;">एराजी</td> </tr> <tr> <td><u>ज० रामपुर</u></td> <td><u>-15</u></td> <td><u>212</u></td> <td><u>520</u> <u>546</u></td> <td><u>1402</u> <u>4</u></td> </tr> </table> <p>मूल आवेदन पत्र इल्कन कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें । महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की माँग कर । अभिलेख दिनांक ... <u>01/03/17</u> ... को उपस्थित करें ।</p> <p><u>MS</u> अंचल अधिकारी <u>MS</u> अंचल अधिकारी</p> <p>महाल पर तामिला नोटिस प्राप्त है । कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है । कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है । उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल खरिज करने की अनुशंसा किये हैं । फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल खरिज किया जाता है शुद्धि पत्र निगंत करें ।</p> <p><u>MS</u> अंचल अधिकारी <u>MS</u> अंचल अधिकारी</p>	मौजा का नाम	तौजी नं०	खाता नं०	खसरा	एराजी	<u>ज० रामपुर</u>	<u>-15</u>	<u>212</u>	<u>520</u> <u>546</u>	<u>1402</u> <u>4</u>	
मौजा का नाम	तौजी नं०	खाता नं०	खसरा	एराजी								
<u>ज० रामपुर</u>	<u>-15</u>	<u>212</u>	<u>520</u> <u>546</u>	<u>1402</u> <u>4</u>								